संख्या–2662/XVIII-(2)/2011–16(1)/2007

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग

देहरादून, दिनांक 10 अगस्त, 2011

विषय :– राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्ट विभिन्न ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुर्नवास हेतु नीति निर्धारण के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त अथवा भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील पाए गये ग्रामों के विस्थापन एवं पुर्नवास के लिए विभिन्न स्तरों से आवेदन पत्र एवं प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। कई ग्रामों में सामान्य स्थलीय निरीक्षण करने पर भू स्खलन आदि से संकट भी दृष्टिगोचर हुए हैं। ऐसे अति संवेदनशील ग्राम जो आसन्न संकट में है एवं उनमें बसे संकटग्रस्त परिवारों को अन्यत्र बसाया जाना अपरिहार्य है, को अन्यत्र विस्थापन/पुर्नवास के लिए सक्षम स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार मार्गनिर्देशों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्तानुसार आसन्न संकट में चिन्हित किये गए परिवारों/ग्रामों में विस्थापन के लिए भूमि चयन, ऐसे परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अनुमन्य वित्तीय सहायता एवं अन्य व्यवहारिक कार्यवाहियों को निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाएगा–

(1) पुनर्वास के लिए मानव निवास हेतु असुरक्षित घोषित किये गये अपने निवास के यथा सम्भव समीपस्थ स्थित सुरक्षित स्थान को चिहिन्त किया जाये ताकि विस्थापित परिवार जीवन यापन के लिए अपनी पैत्रिक भूमि पर खेती बाड़ी कर सकें व अपने परम्परागत व्यवसायों से जीवन यापन कर सकें।

(2) अपने निवास के निकट में विस्थापन होने की स्थिति में विस्थापित परिवारों के लिए पृथक से सामुदायिक अवसंरचनाये व सुविधा विकसित करने के व्यय से बचा जा सकेंगा।

(3) विस्थापन पर विचार किये जाने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर उक्त स्थान को मानव निवास हेतु सुरक्षित बनाये जाने के लिए किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के विकल्प पर विचार कर लिया जाये।

(4) पुनर्वास योजना बनाते समय प्रभावित परिवारों को विश्वास मे लिया जाय एव याजना क हर भाग में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाये।